

मध्यप्रदेश शासन

**वित्त विभाग**

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 3-1 / 2022 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 26-5-2022  
प्रति,

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
विमानन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

\*\*\*

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग-2 में विमानन विभाग के परिपत्र क्रमांक 45/2263/2019/नियम/चार दिनांक 06-01-2020 द्वारा वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। उक्त प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के सरल क्रमांक 4 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर प्रतिस्थापित किये जाते हैं:-

S. No	Description	Authority Competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
4	Payment of annual insurance premium for crew and passengers covering flight risks.	Commissioner, Aviation	Up to 50.00 Lakhs	-
		Administrative Department	Above 50.00 Lakhs	-

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पी० के० श्रीवास्तव)

उप सचिव

म०प्र०शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 26-5-2022

पृष्ठा क्रमांक एफ 3-1 / 2022 / नियम / चार  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

(विवेक कुमार घारू)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Rule-1